Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ
ईमरताराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी दूसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर बनाम रामनिवास वगैरह

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 29/**2025** **U/S 212 RTA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.02.2025	आज यह प्रार्थना पत्र ईमरताराम ने जरिये श्री कृष्ण पारीक अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया। बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरणं प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 150 तादादी 5.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 152 तादादी 5.6600 वाकेरोही दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 16.04.2025 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 16.04.2025 को पेश हों । उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
16.4.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वादी द्वारा दावा [illegible] विड्रॉ किया जा चुका है। प्री. पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। [illegible] लिहाजा प्रार्थी प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर से [illegible] [illegible] निर्णय करें [illegible] (उमा मित्तल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:56:02 IST
Reason: SelfAttested